राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 22/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा,, बांसवाड़ा,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, राज0 सरकार, जयपुर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 23-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री संजय शर्मा, अनुभागाधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 30-12-2016 के द्वारा मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा रेल्वे लाईन के विषय में दिनांक 22-12-2015 को रेल मंत्री को पत्र के क्रम में रेल मंत्री के उत्तर तथा की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी का यह आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रथम अपील पेश होने पर आवेदन के बारे में जानकारी हुई। अपीलार्थी ने पूर्व में दिनांक 30-11-2016 को एक आवेदन मुख्य मंत्री कार्यालय को किया था जिसमें समान सूचना चाही गई थी। जिसके बाबत अपीलार्थी को पत्र दिनांक 22-12-2016 से यह अवगत कराया गया है कि वांछित सूचना मुख्य मंत्री कार्यालय में नहीं अपितु संबंधित विभागीय पत्रावली पर ही उपलब्ध हो सकेगी। प्रथम अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 19-01-2017 से सूचना को प्रदत्त माना जाकर अपील निस्तारित की गई है। यह अपील पूर्व आवेदन दिनांक 30-11-2016 के संबंध में है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 22-01-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 14-02-2017, 22-12-2016, 20-01-2017, 16-03-2017 व प्रथम अपील निर्णय की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त